साप्ताहिक

# जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, सोमवार, 18-24 नवंबर 2024 वर्ष-10, अंक-31

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

### किसानों ने उगाईं 54 लाख टन मसाला फसल, देश में पहला स्थान

# अब मध्यप्रदेश मसाला स्टेट

-चार साल में 2.16 लाख मि.टन मसाला फसल उत्पादन

-2023-24 में रिकॉर्ड 54 लाख टन से अधिक उत्पादन

-मिर्च के उत्पादन में मध्य प्रदेश को मिला दूसरा स्थान

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के किसानों ने मसाला फसलों के उत्पादन में नया कीर्तिमान रच दिया है। 2023-24 में रिकॉर्ड 54 लाख टन से अधिक मसालों के उत्पादन के साथ मप्र ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड 8 लाख 32 हजार 419 हेक्टयर में मसाला फसलों की बोवनी कर, 54 लाख टन से अधिक मसाला फसलों का उत्पादन किया, जो एक रिकॉर्ड है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किसानों को कृषि के साथ उद्यानिकी फसलों को भी अपनाने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है, इसके परिणाम स्वरूप गत वर्ष प्रदेश में 13 हजार 110 हेक्टेयर उद्यानिकों फसलों का विस्तार कर 42,730 किसानों को 44 करोड़ 85 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है। बाजार में मसाला फसलों, हल्दी, लहुसन, हरी और लाल मिर्च, अदरक, धनिया, मैंथी, जीरा और सौंफ की फसलों की बढ़ती मांग से भी किसान इनके उत्पादन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं।

### बाजार में अच्छे दाम

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि किसानों के लिए यह आवश्यक है कि वे पारंपरिक कृषि फसलों के साथ-साथ कैश क्रॉप्स जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च, अदरक, लहसुन और जीरा भी उगाएं। इन मसाला फसलों का उत्पादन अल्प समय में किया जा सकता है और बाजार में अच्छे दाम भी मिलते हैं। यह फसलें किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकती हैं।

### मसाला फसलों का रकबा भी बढ़ा

विगत चार वर्षों में मसाला फसलों के उत्पादन में 2 लाख 16 हजार मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है। मसाला फसलों के बोवनी का रकबा भी बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में 8 लाख 23 हजार 918 हेक्टेयर में बोवनी की गई थी जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 8 लाख 82 हजार 419 हेक्टेयर हो गई है। परिणाम स्वरूप मसाला फसलों का वर्ष 2021-22 में कुल उत्पादन 46 लाख 74 हजार 807 मैट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 54 लाख 167 मैट्रिक टन हो गया है।

### फलोद्यान अपनाने की सलाह

मंत्री ने किसानों को मसाला फसलों के साथ-साथ फलोद्यान और फ्लोरीकल्चर (फूलों की खेती) को भी अपनाने की सलाह दी। इन क्षेत्रों में भी किसानों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अनुदान और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा, शासकीय नर्सरियों से उत्तम गुणवत्ता के बीज और पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

### फसलों के संरक्षण के लिए योजनाएं

**मंत्री कुशवाह ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी किसानों को मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और भंडारण सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे फसलों के संरक्षण और भंडारण में सक्षम हो सकें।**

### मिर्च उत्पादन में दूसरे नंबर पर मप्र

मसाला फसल लेने वाले इस तरह के प्रगतिशील किसानों की सफलता का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश में किसानों का ध्यान परम्परागत खेती के साथ या स्थान पर उद्यानिकी फसलों की ओर आकर्षित हो रहे है। हरी मिर्च के उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में द्वितीय स्थान रखता है। गत चार वर्षों में मिर्च के उत्पादन पर नजर डालें तो, वर्ष 2020-21 में 50,933 हेक्टेयर में हरी मिर्च की बोवनी की गई थी। इसमें 8 लाख एक हजार 971 मैट्रिक टन मिर्च का उत्पादन हुआ था, वर्ष 2023-24 में मिर्च उत्पादन का रकबा बढ़कर 64 हजार 116 हेक्टेयर तथा उत्पादन 10 लाख 17 हजार 874 मैट्रिक टन हो गया है, जो प्रदेश में कुल मसाला उत्पादन क्षेत्र का लगभग 16 प्रतिशत रहा है।

### अच्छी आय अर्जित कर रहे किसान

एक उदाहरण टीकमगढ़ जिले के ग्राम आलमपुरा के कृषक मोनू खान का हैं, जिन्होंने इस वर्ष 12 हेक्टेयर में शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च की फसल लगाई है। खान का कहना है कि प्रतिदिन 30 से 35 क्विंटल शिमला मिर्च बाजार में बेच रहे है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। खरगोन जिले के भीकनगांव ब्लॉक के किसान राजेश कालड़ा ने 12 एकड़ में केवल हरी मिर्च लगाई है, जिसकी तुड़ाई और सुखाने का काम अभी चल रहा है। राजेश का कहना है कि मिर्च की फसल 4 माह में विक्रय योग्य हो जाती है। इस वर्ष उन्हें 30 से 35 लाख रुपए की आय संभावित है।

## फिर गेहूं पर आया मप्र के अन्नदाताओं का दिल

**उज्जैन।** इस वर्ष मालवा की माटी में गेहूं की बंपर पैदावार होने की संभावना है। करीब 4.5 लाख हेक्टेयर में बोवनी की जा रही है। चने की बोवनी का रकबा कम बताया जा रहा है। किसान तेजस, पोषक, 322 किस्म के गेहूं का बीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बीते तीन वर्षों से किसानों को सोयाबीन भाव ठीक नहीं मिल रहे हैं, जबकि गेहूं के भाव काफी अच्छे मिल रहे हैं। यही कारण है कि किसानों का रुझान चने की बनिस्बत गेहूं की बोवनी पर अधिक है। कृषि विभाग के अनुसार, इस वर्ष 4.50 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की जा रही है। अब तक 50 फीसद बोवनी हो चुकी है। किसान अधिक उत्पादन के किस्म का गेहूं अधिक बो रहे हैं। व्यापारी अखिलेश जैन के अनुसार, किसानों ने पोषक, तेजस, 322 किस्म का बिजवारा अधिक खरीदा। इस किस्म के गेहूं का उत्पादन काफी अच्छा बताया जा रहा है। बीज कंपनी से लेकर व्यापारिक क्षेत्र में यह गेहूं 3300 से 4500 रुपया क्विंटल तक बिक गया। इसके बाद किसानों ने पर्याप्त पानी के चलते लोकवन पूर्णा, 513 जैसी किस्म को बोया है। इनके भाव भी ऊंचे में 4000 रुपया क्विंटल तक रहे।

### देशावर में खूब बिक रहा गेहूं का बिजवारा

इस वर्ष देशावर में गेहूं के बीज की आपूर्ति मालवा क्षेत्र से हो रही है। 322, लोकवन, पूर्णा, पोषक गेहूं के बीजवारे की मांग महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार में काफी चल रही है। इस कारण गेहूं के भाव भी ऊंचे हैं। किसी समय में मालवा की माटी का शरबती की मिठास देश के महानगरों में काफी पसंद की जाती थी। मुंबई में इस गेहूं की कीमत 5 से 8 हजार रुपये क्विंटल तक होती थी, लेकिन जिले के सभी क्षेत्र में पानी पर्याप्त मात्रा में होने से किसानों ने शरबती गेहूं की बोवनी से किनारा कर लिया। इस किस्म का गेहूं काफी कम पानी की पैदावार है। उत्पादन भी अन्य गेहूं की बनिस्बत कम है। अब अधिक उत्पादन पर किसान ध्यान देता है।

### चार हजार केंद्रों पर 50 लाख टन खरीद का लक्ष्य, किसानों को पिछल साल से 150 रुपए अधिक मिलेगा

# मध्यप्रदेश के किसानों को गेहूं का बढ़ा हुआ मिलेगा एमएसपी

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रूपये घोषित किया गया है। यह गत वर्ष से 150 रुपए अधिक है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आह्वान किया है कि अधिकाधिक क्षेत्र में गेहूं की बोवनी करें और बढ़ी हुई एमएसपी से अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिये अब किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए विभाग द्वारा तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है। इसके अंतर्गत गेहूं उपार्जन के लिए बारदाना, भंडारण, परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही भारत सरकार द्वारा तय एफएक्यू मापदंड के गेहूं उपार्जन के लिए केन्द्रों पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग व्यवस्था की जाएगी।

गेहूं की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सर्वेयर को सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विगत वर्ष 6 लाख 16 हजार किसानों द्वारा 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूं का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया गया। गेहूं उपार्जन के लिए किसानों की सुविधानुसार 3694 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए। उपार्जित गेहूं के परिवहन, हैंडलिंग एवं किसानों के शीघ्र भुगतान के लिए 2199 उपार्जन केन्द्र गोदाम स्तर पर स्थापित किए गए। शेष 1495 उपार्जन केन्द्र समिति स्तर पर स्थापित किए गए। किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में समर्थन मूल्य राशि के सीधे भुगतान की व्यवस्था की गई थी।

### प्रदेश में गेहूं का रकबा घटा

गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश में गेहूं के रकबे में गिरावट देखी गई है। मप्र में अभी तक गेहूं की बोवनी 10.56 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई है, जो पिछले साल यह 26.58 लाख हेक्टेयर थी। गेहूं की बोवनी बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी से हालिया एमएसपी बढ़ोतरी के साथ उपज खरीदने की घोषणा कर दी है।गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

### धान 2300 और बाजरा 2625 रुपए क्विंटल

इधर, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपए है। ज्वार मालदण्डी का 3421 रुपए, ज्वार हाईब्रिड का 3371 रुपए और बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपए है। किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जाएगी। ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन 22 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक और धान का उपार्जन 2 दिसम्बर से 20 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा।

27वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में राज्य मंत्री पवार ने किया आह्वान

## अधिक से अधिक समितियों का पंजीयन कराने में करें सहयोग

# मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने योजनाओं का किया जाए प्रचार-प्रसार

भोपाल। जागत गांव हमार

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि समिति सदस्यों को मत्स्य उत्पादन के साथ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रेरित करें। मंत्री 27वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती के साथ आजीविका के लिए आय के अन्य स्त्रोत का भी होना जरूरी है। समिति के लोग 10 माह मत्स्य उत्पादन का कार्य करते हैं। जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाए। शासन द्वारा रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे है। समिति मत्स्य बड़ी मेहनत और लगन से कार्य कर लक्ष्यों को पूर्ण करते है। लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ति की जाए ऐसे प्रयास करें। राज्य मंत्री ने कहा कि कि शासन द्वारा 70 वर्ष से अधिक के सभी वर्ग के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। पांच लाख तक का नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अधिक से अधिक लोग आयुष्मान कार्ड बनवाकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाए। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वास्तविक हितग्राहियों को लाभ मिले ऐ प्रयास किए जाए। अधिक से अधिक समितियों का पंजीयन कराने में सहयोग करें। और प्रचार-प्रसार करें गरीबी बस्तियों में पंपलेट बंटवाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाए और अपने संसाधनों को बढ़ाए उन्होंने मछुआ समिति सदस्यों से चर्चा भी की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव डीपी आहूजा सहित विभागीय अधिकारी मत्स्य महासंघ के सदस्य उपस्थित थे।

### 15200 पंजीकृत सदस्य

मंत्री ने बताया कि मत्स्य महासंघ का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा 1000 हेक्टेयर से ऊपर से सौंपे गए बड़े एवं मध्यम जलाशयों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर मत्स्य विकास करना एवं महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुओं तथा उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित करते हुए सामाजिक, आर्थिक उन्नति करना है। शासन द्वारा महासंघ को 7 वृहद एवं 21 मध्यम सहित कुल 28 जलाशय उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका कुल जलक्षेत्र 2.31 लाख हेक्टेयर है। 31 मार्च 2024 की स्थिति में महासंघ के अधीन क वर्ग की 222 मत्स्य सहकारी समिति के 15200 पंजीकृत सदस्य हैं।

### दिया जाता है प्रोत्साहन

वर्ष 2023-24 में जलाशयों में निर्धारित लक्ष्य अनुसार कुल 896.50 लाख के विपक्ष में कुल 494.86 लाख मत्स्यबीज संचय किया गया है। उन्होंने योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मत्स्य महासंघ द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली मछुआ सहकारी समितियों एवं मछुआरों को प्रोत्साहित किया जाता है।

### बर्डिया को 50 हजार द्वितीय पुरस्कार

प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अंतर्गत गांधी सागर इकाई (अ) उत्कृष्ट मत्स्य सहकारी समिति में प्रथम पुरस्कार नवीन आदर्श म.स.स. बर्डिया को 50 हजार द्वितीय पुरस्कार ग्रामीण आदर्श म.स.स. हाड़ाखेड़ी 40 हजार, तृतीय पुरस्कार जय भवानी म.स.स. जमालपुरा और चतुर्थ पुरस्कार जय राधा कृष्ण म.स.स. गांधीसागर 20 हजार (ब) उत्कृष्ट मछुआ प्रथम पुरस्कार गौतम मांझी जय लक्ष्मी म.स.स. 30 हजार द्वितीय पुरस्कार भरत नवीन आदर्श म.स.स. बर्डिया 25 हजार तृतीय पुरस्कार गिरधारी नवीन आदर्श म.स.स. बर्डिया 20 हजार चतुर्थ पुरस्कार श्यामल मंडल जय राधे म.स.स. गांधीसागर 18 हजार, पंचम पुरस्कार नवीन आदर्श म.स.स. बर्डिया 15 हजार, छठवां पुरस्कार दिससुन्दर जय लक्ष्मी नारायण म.स.स. गांधीसागर, बाणसागर इकाई (अ) उत्कृष्ट मत्स्य सहकारी समिति प्रथम पुरस्कार कुन्दन म.स.स. खजूरी 35 हजार, द्वितीय पुरस्कार विन्ध्यांचल म.स.स. रामनगर 30 हजार (ब) उत्कृष्ट मछुआ प्रथम पुरस्कार मो. अजील कुन्दन म.स.स. खजूरी 20 हजार दिया गया।

### उत्कृष्ट मत्स्य सहकारी समिति प्रथम

जबलपुर (अ) उत्कृष्ट मत्स्य सहकारी समिति प्रथम पुरस्कार आदर्श म.स.स. छपारा 1500 हजार द्वितीय पुरस्कार बरमैया म.स.स. झुल्लपुर 10 हजार (ब) उत्कृष्ट मछुआ प्रथम पुरस्कार श्री कमलू बर्मन आदर्श म.स.स. भीमगढ़ 10 हजार, द्वितीय अर्जुन बर्मन म.स.स. संकल्प माचागोरा 8 हजार, तृतीय पुरस्कार नंदलाल बर्मन आदर्श म.स.स. भामगढ़ 7 हजार दिया गया।

### भोपाल (अ) सहकारी समिति प्रथम पुरस्कार

भोपाल (अ) उत्कृष्ट मत्स्य सहकारी समिति प्रथम पुरस्कार राजीव गांधी म.स.स. नीनोद 25 हजार, द्वितीय पुरस्कार बूधौरकला म.स.स. बूधौर 15 हजार, तृतीय पुरस्कार अध्यक्ष संजय सागर म.स.स. शामशाबाद 10 हजार (ब) उत्कृष्ट मछुआ तृतीय पुरस्कार रहजीत म.स.स. पोनिया 6 हजार, सांत्वाना पुरस्कार अनीस खॉ म.स.स.पोनिया, सीताराम महामई म.स.स. सांगुल, मीराबाई चन्द्रशेखर आजाद म.स.स. कायमपुर और सुरैया बाई मछुआ समूह मजूसखर्द को 5-5 हजार पुरस्कार, राजगढ़ (अ) उत्कृष्ट मत्स्य सहकारी समिति प्रथम पुरस्कार म.स. समिति मुरारिया 10 हजार (ब) उत्कृष्ट मछुआ प्रथम पुरस्कार देवकरण म.स. समिति तलेन 8 हजार अटलसागर (अ) उत्कृष्ट मत्स्य सहाकारी समिति प्रथम पुरस्कार एकलव्य म.स.स. मगरोनी 40 हजार, द्वितीय पुरस्कार बुन्देलखण्ड म.स.स. 15 हजार, छतरपुर (अ) उत्कृष्ट सहकारी समिति प्रथम पुरस्कार भोला म.स. समिति 12 हजार, द्वितीय पुरस्कार म.स. समिति किरवाहा 10 हजार, (ब) उत्कृष्ट मछुआ प्रथम पुरस्कार समकिशन म.स.स.किरवाह 10 हजार पुरस्कार वितरित किए।

तीन लाख से अधिक वन अधिकार दावे मान्य

# प्रदेश के 792 वन ग्राम बने राजस्व ग्राम

भोपाल। जागत गांव हमार

वन अधिकार अधिनियम 2006 का जनवरी 2008 से मध्यप्रदेश में सुचारू तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 2 लाख 75 हजार 352 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार दावे मान्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 29 हजार 996 सामुदायिक वन अधिकार दावों को भी मान्यता प्रदान की गई है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त वन अधिकार दावों का निर्धारित पात्रता अनुसार समुचित विधिक प्रक्रिया से निराकरण किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम में प्रदेश में अब तक 792 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में सम्परिवर्तन कर दिया गया है। इसके लिये संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा विधिवत अधिसूचनाएं भी जारी कर दी गई हैं।

**एफआरए एटलस भी तैयार**- केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम के पोटेंशियल एरिया की मैपिंग के लिए प्रदेश के सभी जिलों का एफआरए एटलस भी तैयार कर लिया गया है। एफआरए एटलस की सहायता से सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन के सामुदायिक अधिकारों सहित अन्य जरूरी अधिकारों को भी कानूनी मान्यता देने की कार्यवाही की जा रही है।

**योजनाओं का लाभ प्रदाय**- मध्यप्रदेश में सभी वन अधिकार पत्र धारकों को विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। अब तक 55 हजार 357 वन अधिकार पत्र धारकों को कपिलधारा कूप, 58 हजार 796 को भूमि सुधार/मेंढ़-बंधान, 61 हजार 54 को पक्का आवास/प्रधानमंत्री आवास, 1 लाख 86 हजार 131 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देकर 21 हजार 514 वन अधिकार पत्र धारकों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना से भी जोड़ा गया है।

### वन अधिकार अधिनियम

वन अधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा 2006 में लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसे अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए लागू किया गया था। इसमें वन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी अपने पुश्तैनी निवास और कृषि भूमि पर मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं। इन्हें जंगलों के संसाधनों अर्थात वनोपज पर अधिकार दिया गया है। जैसे लकड़ी, फल, शहद, जड़ी-बूटी आदि का संग्रहण। सामुदायिक स्तर पर वे जंगल की भूमि और अन्य संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन कर सकते है। यह अधिनियम वनवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह के अधिकार प्रदान करता है। ग्राम सभा दावों की पुष्टि करती है और उन्हें मंजूरी देती है। इसके तहत सरकार की अनुमति के बिना वन क्षेत्रों से विस्थापन नहीं किया जा सकता है। स्थानीय समुदायों को वन क्षेत्रों के संरक्षण में भागीदारी का अधिकार मिलता है। इस अधिनियम ने वनवासियों को उनके पूर्वजों की भूमि पर अधिकार दिया है, जिससे उनके जीवन-यापन के साधनों को मजबूती मिली है। वन अधिकार अधिनियम से वनवासियों की आजीविका में सुधार आया है और इससे इन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का अधिकार मिला है। यह अधिनियम जनजातीय और वन समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने के साथ ही उनके पारम्परिक जीवन और संस्कृति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

# पॉली-हाउस से खरगोन का किसान राकेश हुआ मालामाल

**भोपाल।** प्रदेश में किसानों के लिए खेती लाभ का व्यवसाय बन सके, इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से किसानों को मदद कर रही हे। ऐसे ही खरगोन के एक किसान को उद्यानिकी विभाग की मदद मिली और वे अब सफलतापूर्वक खेती कर लाभ अर्जित कर रहे। खरगोन जिले के कसरावद के ग्राम सावदा के किसान राकेश पाटीदार के परिवार में अब तक पारम्परिक तरीके से खेती हुआ करती थी, लेकिन उनके परिवार को मेहनत के अनुरूप खेती से फायदा नहीं मिल पा रहा था। जब युवा किसान राकेश ने खेती करना शुरू किया, तो उन्होंने बहेतर लाभ और उन्नत तरीकों से खेती को अपनाने के लिए पॉली हाउस का लाभ लेने उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया। पात्रता की आवश्यक शर्तें पूरी करने पर उन्हें उद्यानिकी विभाग से पॉली-हाउस निर्माण के लिए आर्थिक मदद मिली। किसान राकेश ने अपने खेत में 4 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पॉली-हाउस लगवाया। इसके लिए उन्हें 16 लाख 88 हजार का अनुदान भी मिला। अब राकेश पॉली-हाउस में मिर्च और टमाटर को रोपकर उद्यानिकी फसल ले रहे हैं। उद्यानिकी फसल से उन्हें एक साल में 14 लाख का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। उनकी सफलता से अन्य किसान भी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने भी उद्यानिकी फसलों के बारे में विभाग से सम्पर्क किया है। किसान राकेश बताते हैं कि खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए और शासकीय योजना का फायदा लिया जाए, तो खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है।

### कम उपजाऊ और परती जमीनों से किसानों को होगी लाखों की आय

# ग्रीन एनर्जी प्लांट नरवाई पराली बनाएगा उपयोगी

## गुढ़ में दो और सिरमौर में एक प्लांट लगाने की योजना को मूर्त रूप दें

भोपाल। जागत गांव हमार

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में बैठक में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा, सतना और मऊगंज जिलों में बाणसागर बाध की नहरों से सिंचाई के बाद धान और गेंहू का विपुल उत्पादन हो रहा है। ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित होने से किसानों की कम उपजाऊ और परती जमीनों से भी लाखों की आय होगी। ग्रीन एनर्जी प्लांट में धान के पैरे (पराली) से बिजली और जैविक खाद बनायी जाएगी। रीवा जिले में तीन ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने के लिए पराली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गुढ़ में प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी प्लांट का कार्य तत्काल शुरू करें। इस प्लांट के लिए कच्चा माल पराली और कम उपजाऊ क्षेत्र में नेवियर घास उगाकर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। कंपनी सर्वे का कार्य शीघ्र पूरा करके वास्तविक निर्माण कार्य शुरू कराएं। इस प्लांट की स्थापना से जिले में नरवाई जलाने और पराली के समस्या का भी समाधान होगा। किसान के लिए अब धान के साथ-साथ उसका पैरा भी आमदनी देगा। मऊगंज जिले में प्लांट के लिए एक हजार हेक्टेयर की जमीन उपलब्ध है। जमीन प्राप्त करने तथा प्लांट के लिए 7 दिन में आवेदन करें। गुढ़ में दो और सिरमौर में एक प्लांट लगाने की कार्य योजना को मूर्त रूप दें।

### किसानों से अनुबंध करेगी सरकार

बैठक में कलेक्टर मऊगंज ने बताया कि ग्रीन एनर्जी प्लांट के लिए बदवार सीतापुर रोड में एक हजार हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। इसमें से 95 प्रतिशत जमीन निजी भूमि है। किसान अच्छी आय प्राप्त होने पर सरलता से दे देंगे। किसानों से अनुबंध के आधार पर जमीनें मिल जाएंगी। कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने बताया कि तीन प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त पराली उपलब्ध है। गेंहू के फसल अवशेष तथा वनों से प्राप्त अनुपयोगी पौधों का भी ग्रीन एनर्जी प्लांट में उपयोग किया जा सकता है। गुढ़ प्लांट को सीधी जिले के धान उत्पादक चुरहट और रामपुर नैकिन क्षेत्र के रीवा से जुड़े हुए गांव से भी पराली मिल जाएगी। कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा ने बताया कि नगौद में ग्रीन एनर्जी प्लांट का कार्य जारी है। बैठक में रिलायंस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि अशोक खरे तथा विजित झा ने बताया कि हमारी कंपनी रीवा और सतना जिले में दस ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित करना चाहती है। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। प्लांट में कच्चे माल के रूप में गेहूं और धान के फसल अवशेष पराली का उपयोग किया जाएगा। एक प्लांट के लिए 22 हजार मैट्रिक टन पराली की आवश्यकता होगी। पराली के साथ परती तथा अनुपयोगी जमीन पर आसानी से उगने वाली नेपियर घास का भी कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी प्लांट से कम्प्रेस, बायोगैस, हाइड्रोजन तथा मैथेलान का उत्पादन होगा। इससे जैविक खाद का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा।

### रोजगार का भी सृजन होगा

**किसानों की पराली को कम्प्रेस करके कच्चा माल के रूप में बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता होगी। इससे रोजगार का भी सृजन होगा। किसानों की परती और कम उपजाऊ जमीन भी अच्छा लाभ देगी। किसानों से अनुबंध के आधार पर नेपियर घास की खेती करायी जाएगी। ग्रीन एनर्जी प्लांट ऊर्जा उत्पादन के साथ किसानों की तकदीर भी बदल देगा। कमिश्नर बीएस जामोद, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, उप संचालक पशुपालन डॉ. राजेश मिश्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक औद्योगिक विकास निगम यूके तिवारी, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत संजय सिंह और अधिकारी उपस्थित रहे।**

### कलेक्टर को एनपीके की जगह डीएपी लेने दिया आवेदन

# डीएपी से वंचित रहे किसानों को उपलब्ध कराई खाद

भोपाल। जागत गांव हमार

छतरपुर जिले में गत दिवस मार्कफेड के गोदाम में सुबह 8 बजे लगभग 450 किसान खाद लेने पहुंचे थे। जहां उन्हें पूरी प्रक्रिया के तहत टोकन बांटा गया और 130 मीट्रिक टन डीएपी खाद का वितरण किया गया। इस दौरान कुछ किसान बाकी रह गए थे। उपसंचालक कृषि केके वैद्य ने बताया कि बाकी रहे किसानों को समझाइश दी गई कि डीएपी की जगह एनपीके लेने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन उन्होंने कलेक्टर पार्थ जैसवाल के कैम्प ऑफिस पहुंचकर डीएपी ही लेने का आवेदन दिया और कलेक्टर के निर्देशानुसार किसानों को डीएपी खाद एमपी एग्रो से उपलब्ध कराई। उल्लेखनीय है कि छतरपुर कृषि उपज मंडी में मार्कफेड के गोदाम में डीएपी खाद लेने के लिए 450 किसान एकत्रित हुए, उन सभी किसानो को सुबह 8 बजे से ही टोकन बांट दिए गए और पूरे दिन में 130 मीट्रिक टन डीएपी खाद टोकन के माध्यम से वितरण किया गया, इन सभी किसानों को डीएपी वितरण के पश्चात गोदाम मे डीएपी खत्म हो गया था।

### 40 किसानों को एनपीके दिया

डीएपी वितरण के पश्चात शेष बचे 40 किसानों को एनपीके दिया गया था, उसके पश्चात 12 किसान शेष रह गए थे जो गोदाम में दोपहर 2 बजे आए थे, उन्हें भी टोकन दिया गया था। टोकन से खाद प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था, गोदाम में रात्रि 8.30 बजे डीएपी का वितरण बंद हुआ, डीएपी खाद खत्म होने के बाद यह 12 किसान खाद प्राप्त करने से वंचित रह गए। सभी किसानों को एनपीके प्राप्त करने के लिए समझाइश दी गई परंतु वह डीएपी खाद ही लेना चाहते थे।

### कोई विरोध नहीं

उक्त किसान अपने आवेदन लेकर खाद प्राप्त करने के लिए कलेक्टर से दूरभाष पर संपर्क किया और आवेदन देने के लिए उनके कैम्प ऑफिस आए, इन सभी किसानो के आवेदन प्राप्त किए गए और आश्वासन दिया गया कि उन्हें सुबह खाद वितरित कर दिया जाएगा। सुबह सभी 12 किसानो को एमपीएग्रो गोदाम से खाद वितरित कर दिया है, किसानों के द्वारा किसी प्रकार का घेराव नहीं किया।

### किसानों से की जाएगी अच्छी गुणवत्ता की फसल खरीदी

# एमएसपी पर धान, ज्वार-बाजरा की उपार्जन नीति जारी

भोपाल। जागत गांव हमार

खरीफ विपणन वर्ष 2024- 25 में केंद्र सरकार द्वारा समय - समय पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर औसत अच्छी गुणवत्ता की धान, ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन किसानों से किया जाएगा। राज्य शासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की उपार्जन नीति घोषित कर दी है। समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा की 22 नवंबर और धान की खरीदी 2 दिसंबर से की जाएगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश के समस्त कलेक्टर, नागरिक आपूर्ति निगम तथा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि उपार्जन नीति का अक्षरश: पालन सुनिश्चित कराएं, जिससे किसानों को लाभ पहुंचाने की सरकार की मंशा पूरी हो सके। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर उपार्जन कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि निर्धारित अवधि में उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन मात्रा का निर्धारण विगत तीन वर्षों में धान, ज्वार एवं बाजरा की उपार्जन मात्रा में औसत वृद्धि तथा बोए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा विभाग द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार की अन्य एजेंसी अथवा उनके द्वारा अधिकृत संस्था को भी उपार्जन एजेन्सी घोषित किया जा सकेगा। जबकि उपार्जित खाद्यान्न के भंडारण एवं रखरखाव के लिए मप्र वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन नोडल राज्य समन्वयक एजेंसी होगी।

**होगा उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण**| उपार्जन केन्द्र के स्थान का निर्धारण किसानों की सुविधा अनुसार किया जाएगा। उपार्जन केन्द्र प्राथमिकता से गोदाम/केप परिसर में स्थापित किए जाएंगे। गोदाम/केप उपलब्ध न होने पर समिति एवं अन्य स्तर पर उपार्जन केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगे। जिले में उपार्जन केन्द्रों की संख्या का निर्धारण किसान पंजीयन, पंजीयन में दर्ज बोया गया रकबा एवं विगत वर्ष निर्धारित उपार्जन केन्द्रों के आधार पर राज्य उपार्जन समिति द्वारा किया जाएगा।

**उपार्जन करने वाली संस्थाएं**| उपार्जन कार्य सहकारी समितियां, बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं ब्लाक स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाएं, जिला थोक उपभोक्ता। भंडार, महिला स्व-सहायता समूह एवं क्लस्टर लेवल फेडरेशन, उपार्जन कार्य करने के लिए सहमति देने वाली अन्य संस्थाओं को दिया जा सकेगा। संस्थाओं की पात्रता का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा।

### बारदाना व्यवस्था

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 46 प्रतिशत पुराने और 54 प्रतिशत नवीन जूट बारदाने उपयोग किए जाएंगे। बारदानों की व्यवस्था उपार्जन एजेंसी द्वारा की जायेगी। ज्वार एवं बाजरे का उपार्जन नवीन जूट बारदानों में किया जाएगा। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा धान, ज्वार एवं बाजरा के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए निर्धारित यूनिफार्म स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार एवं समय-समय पर इसमें दी गई शिथिलता के अनुसार उपार्जन किया जाएगा।

### परिवहन का खर्चा उठाएंगे मिलर्स

गुणवत्ता परीक्षण का दायित्व उपार्जन केन्द्र में उपार्जन करने वाली संस्था और भंडारण स्थल पर उपार्जन एजेंसी का होगा। कृषि उपज मंडियों में एफएक्यू मानक की धान, ज्वार एवं बाजरा की खरीदी समर्थन मूल्य से कम पर क्रय नहीं किया जाएगा। नॉन एफएक्यू उपज का सैम्पल कृषि उपज मंडी द्वारा संधारित किया जाएगा। किसान पंजीयन में दर्ज फसल के रकबे एवं राजस्व विभाग द्वारा तहसीलवार निर्धारित उत्पादकता के आधार पर कृषक द्वारा खाद्यान्न की विक्रय योग्य अधिकतम मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। उपार्जित खाद्यान्न का उपार्जन केन्द्र से गोदाम तक परिवहन का दायित्व उपार्जन एजेंसी का और धान को उपार्जन केन्द्र/गोदाम से सीधे मिलर्स तक परिवहन का दायित्व मिलर्स का होगा।

# डीएपी की कमी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

गेहूं की बुआई समेत रबी फसलों का सीजन शुरू होते ही देशभर में डीएपी खाद कमी की गूंज सुनाई दे रही है। किसान खेती के कार्य छोड़कर डीएपी खाद खरीदने के लिए लाइन में लगने को मजबूर हैं। लेकिन, सरकार लगातार गलत बयानों से किसानों को गुमराह कर रही है कि देश मे डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है. हरियाणा में डीएपी खाद के लिए किसानों द्वारा आत्महत्या व विरोध प्रदशज्न करने और पुलिस स्टेशनों में डीएपी खाद बेचने जाने जैसै दुखदायी खबरें रोजाना अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं।

गेहूं फसल की सालाना बुआई अक्टूबर-नवंबर के महीने में लगभग 31.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है, जिससे औसतन 112 मिलियन टन वार्षिक गेहूं उत्पादन होता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने 9.12.2022 को लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि देश को रबी सीजन के लिए 55.38 लाख मीट्रिक टन डीएपी उर्वरकों की आवश्यकता है और जिसमें से 33.74 लाख मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक 1 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रबी सीजन की बुवाई अवधि के दौरान बेचा गया।

फर्टिलाईजर एसोसिएशन ऑफइंडिया के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 तक केवल 16 लाख मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध था। यह कुल आवश्यकता का केवल 29 प्रतिशत है जो स्पष्ट रूप से सरकार की झूठी बयानबाजी को उजागर करता है और देश में डीएपी उर्वरक की मौजूदा भारी कमी के संकट को दर्शाता है।

रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई सुविधाओं के साथ गेहूं की उन्नत बौनी किस्मों को अपनाने से भारत ने पिछले छह दशकों के दौरान गेहूं उत्पादन में दस गुना वृद्धि की है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के बावजूद खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई और उपरोक्त हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण भारत एक आयातक देश से गेहूं का निर्यातक बन गया।

लेकिन 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मई 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत की नाजुक खाद्य सुरक्षा को दर्शाता है। इसके अलावा, वर्ष-2023 और 2024 में 37 मिलियन टन के खरीद लक्ष्य के मुकाबले केवल 26.2 और 26.6 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई। जिससे स्पष्ट होता है कि भारत मे गेहूं का वाषिज्क उत्पादन मांग और आपूर्ति के लगभग बराबर ही है। सरकार की गलत नीतियों के कारण डीएपी उर्वरक की आपूर्ति में कृत्रिम कमी भारत की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

**डीएपी उर्वरक-खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण:** डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) भारतीय किसानों के बीच पसंदीदा खाद है जिसमें 18 प्रतिशत नाइट्रोजन और 46 प्रतिशत फॉस्फोरस (पी2ओ5) जैसे प्राथमिक मैक्रो-पोषक तत्व होते हैं जो जड़ों के विकास, टिलर (कल्ले) को बढ़ाने और पौधे के तने को मजबूत करने के लिए आवश्यक होते हैं और पैदावार को बढाते है। डीएपी खाद का प्रयोग केवल बुआई के समय पर ही किया जाता है। आईसीएआर और विभिन्न कृषि विश्वविधालायो द्वारा किए गए क्षेत्रीय प्रयोगों के आंकड़ों से पता चला है कि प्रति एकड़ 50 किलोग्राम की दर से डीएपी की अनुशंसित खुराक का उपयोग करने से गेहूं और धान फसल की उपज 30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। इसीलिए, डीएपी उर्वरक की कमी से गेहूं फसल सहित रबी सीजन की सभी फसलों की पैदावार पर एक तिहाई तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

भारत डीएपी उर्वरक की कुल खपत का केवल आधा हिस्सा ही उत्पादित कर रहा है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार 1970 से ही रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और आयात पर सब्सिडी दे रही है। लेकिन हाल के वर्षों में, वैश्विक दबाव से उर्वरक पर सब्सिडी को 35 प्रतिशत कम कर दिया गया है, जैसा कि केंद्रीय बजट में अनुपूरक मांग से स्पष्ट है। इसके अनुसार वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में रासायनिक उर्वरकों की सब्सिडी के लिए क्रमश: 2,51,340 करोड़ रुपये, 1,88,901 करोड़ रुपये और 1,64,102 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय खाद संघ को डीएपी उर्वरक सहित सभी रासायनिक उर्वरकों के आयात और उत्पादन में भारी कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके बुरे परभाव से गेंहू उत्पादक मुख्य राज्यो पंजाब, हरियाणा आदि मे डीएपी उर्वरक का संकट गम्भीर बन गया। जच क देश की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता हैं।

इस प्रकार, सरकार के गलत नीतिगत निर्णय ने खुले बाजार में डीएपी उर्वरक की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो देश में वर्तमान डीएपी उर्वरक संकट का प्राथमिक कारण है। इसके अलावा, पारंपरिक रासायनिक उर्वरक के विकल्प के रूप में तरल नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को बढ़ावा देना वैज्ञानिक तौर पर गलत नीति है और इन बेकार पदार्थों की जबरन बिक्री सरकार द्वारा किसानों की खुली लूट के समान है। क्योंकि प्रतिष्ठित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोध में, पारंपरिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाने वाले नैनो डीएपी और नैनो यूरिया से पौधों की ऊंचाई, पोषक तत्व और गेहूं फसल की उपज में एक तिहाई से अधिक की कमी देखी गई है, जो अंतत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। इसलिए, वैज्ञानिक नीतिगत मामलों जैसे डीएपी उर्वरक के उत्पादन और उपलब्धता और नैनो डीएपी के उपयोग आदि में सरकार को तकनीकी रूप से अक्षम प्रशासनिक नौकरशाही के बजाय सक्षम वैज्ञानिकों पर जयादा भरोसा करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

# साइलेजः कृषि और पशुपालन में एक महत्वपूर्ण संसाधन

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. आकाश सुमन
» डॉ. अनिल धाकड़
» डॉ. नीरज कुशवाह
» डॉ. विकास कुमार सिंह
» डॉ. राहुल श्रीवास्तव
पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू मध्य प्रदेश

साइलेज, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी संसाधन है। यह विशेष रूप से उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो अपने पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपनी फसल के उत्पादन को भी बढ़ाना चाहते हैं। साइलेज, विशेष रूप से फसल के हरे भाग को किण्वित करके बनाया गया चारा होता है। इसे मुख्यतः मक्का, ज्वार, और अन्य हरी फसलों से बनाया जाता है। जब फसल को काटा जाता है, तो उसे जल्दी से सिलो में भरा जाता है, जहाँ यह बिना ऑक्सीजन के किण्वित होता है।

साइलेज हरी पत्तियों वाली फसलों से बना चारा है जिसे किण्वन द्वारा खट्टा होने तक संरक्षित किया जाता है। इसे मवेशियों, भेड़ों और अन्य जुगाली करने वाले जानवरों को खिलाया जाता है। किण्वन और भंडारण प्रक्रिया को एनसिलेज, एनसिलिंग या साइलेजिंग कहा जाता है। साइलेज विशेष रूप से उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो अपने पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपनी फसल के उत्पादन को भी बढ़ाना चाहते हैं। साइलेज बनाने की इस प्रक्रिया में फसल के कार्बोहाइड्रेट्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होते हैं, जिससे चारे का पोषण मूल्य और स्वाद बढ़ता है।

साइलेज में खमीर और फफूं दों की गणना उपयोगी हो सकती है क्योंकि, जैसा कि पहले बताया गया है, साइलेज में खमीर की उच्च संख्या आमतौर पर इथेनॉल की उच्च सांद्रता से जुड़ी होती है, और उनकी संख्या अक्सर साइलेज की एरोबिक स्थिरता से विपरीत रूप से संबंधित होती है। यह विशेष रूप से मकई आधारित फसलों में ऐसा है।

**साइलेज बनाने की प्रक्रिया**

**1. फसल का चयन:** साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले उन फसलों का चयन किया जाता है जो इसके लिए उपयुक्त हों। मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी फसलें इसकी तैयारी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी जाती हैं।

**2. कटाई:** फसल को सही समय पर काटना बहुत आवश्यक है। जब फसल का पोषण मूल्य अधिकतम हो, तब इसे काटा जाता है। सही समय पर कटाई से साइलेज की गुणवत्ता में सुधार होता है।

**3. संकुचन:** कटाई के बाद, फसल को तुरंत सिलो में भरा जाता है। इसे दबाकर संकुचित किया जाता है ताकि हवा का संपर्क कम से कम हो। इससे किण्वन की प्रक्रिया बेहतर होती है।

**4. किण्वन:** सिलो को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है और इसे किण्वित होने के लिए कुछ हफ्तों तक छोड़ दिया जाता है। इस अवधि के दौरान, फसल में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया विकसित होते हैं, जो किण्वन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं।

**साइलेज के लाभ**

**1. पोषण मूल्य:** साइलेज में पौधों के पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होती है। यह पशुओं के लिए प्रोटीन, ऊर्जा और फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत है, जिससे उनके विकास और उत्पादन में सुधार होता है।

**2. भंडारण में सहूलियत:** साइलेज को आसानी से सिलो में भंडारित किया जा सकता है, जिससे यह वर्षभर उपलब्ध रहता है। यह विशेष रूप से सर्दियों में महत्वपूर्ण है, जब हरी घास की कमी होती है।

**3. फसल की बर्बादी में कमी:** साइलेज बनाने की प्रक्रिया से फसलों की बर्बादी कम होती है। जल्दी खराब होने वाली फसलों को किण्वित करके उनकी गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है।

**4. लागत की कमी:** साइलेज उत्पादन की प्रक्रिया में अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसानों के लिए एक आर्थिक विकल्प है, जो उन्हें बेहतर लाभ देता है। साइलेज कृषि और पशुपालन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। यह न केवल पशुओं के लिए पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह किसानों के लिए आथिज्क रूप से भी फायदेमंद है।

सही तकनीकों का उपयोग करके, किसान साइलेज के माध्यम से अपनी फसल की बर्बादी को कम कर सकते हैं और अपने पशुओं के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। इस प्रकार, साइलेज का उत्पादन एक सतत कृषि प्रथा का हिस्सा बनता जा रहा है, जो भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। किसानों को चाहिए कि वे साइलेज के महत्व को समझें और इसे अपनी खेती में अपनाएँ, जिससे वे न केवल अपने पशुओं का पोषण कर सकें, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकें।

## कृषि उत्पादों के वायदा कारोबार निलंबन ने महंगाई रोकने के बजाए बढ़ाई : अध्ययन

क्या 2021 में चना, गेहूं, धान, मूंग, कच्चा पाम तेल व सरसो और सोयाबीन जैसे सात कृषि उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए वायदा कारोबार ( फ्यूचर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग) को निलंबन किया जाना सरकार का एक बेहतर निर्णय था?

इस मामले पर दो प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के द्वारा किया गया ताजा अध्ययन यह बताता है कि सरकार का यह निर्णय न सिर्फ इन कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता पैदा करता है बल्कि इसके चलते कृषि उत्पादों का मूल्य तय करने में कठिनाई आती है। कुल मिलाकर यह सरकार की सोच के विपरीत महंगाई की रोकथाम के बजाए उसपर उल्टा असर डाल रहा है। यह ताजा अध्ययन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफमैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, नोएडा और आईआईटी बॉम्बे के शैलेश जे. मेहता स्कूल ऑफमैनेजमेंट ने किया है। अध्ययन में पाया गया कि कृषि उत्पादों के वायदा कारोबार यानी भविष्य अनुबंधों (फ्यूचर डेरिवेटिव्स) के निलंबन का असर यह है कि ये कृषि मूल्य व्यवस्था को पूरी तरह से गड़बड़ कर देता है, जिससे खाद्य कीमतों में अस्थिरता बढ़ती है और किसानों और कृषि मूल्य श्रृंखला के अन्य हिस्सों को भारी नुकसान होता है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स यानी भविष्य अनुबंध वह वित्तीय उपकरण होते हैं जिनके जरिए किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचने का अवसर मिलता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच यानी हेज प्रदान करते हैं, जिससे वे भावी कीमतों के बारे में अनुमान लगाकर अपने निवेश की सुरक्षा कर सकते हैं। जब इन अनुबंधों को निलंबित कर दिया जाता है, तो इसका सीधा असर मूल्य निर्धारण और मूल्य स्थिरता पर पड़ता है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफमैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने 2016 से 2024 के बीच सरसों, सोयाबीन, सोयाबीन तेल और सरसों के तेल के व्यापार डेटा का विश्लेषण किया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि जब इन कृषि उत्पादों के लिए एक्सचेंज-ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स निलंबित कर दिए गए, तो मंडियों में कोई स्पष्ट संदर्भ मूल्य नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव आया, जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों को अधिक कीमतों का सामना करना पड़ा। खासकर, खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि देखी गई। साथ ही इससे स्थानीय मंडियों में मूल्य निर्धारण की कमी हुई और खुदरा और थोक स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। और निलंबन के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इन कृषि उत्पादों के हेजिंग की क्षमता पर असर पड़ा। आईआईटी बॉम्बे का निष्कर्ष बताता है कि कृषि उत्पादों के भविष्य अनुबंधों और स्थानीय बाजार कीमतों के बीच कोई सकारात्मक संबंध नहीं था और न ही इन अनुबंधों के कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है।

### हिनौती गौधाम में प्रशासनिक भवन/गेस्ट हाउस का किया भूमि-पूजन, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल बोले

# हिनौती गौधाम, आत्मनिर्भर तथा गौ-शालाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाला गौ-वंश वन्य विहार बनेगा

**भोपाल। जागत गांव हमार**

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि हिनौती गौधाम आत्मनिर्भर व अन्य गौ-शालाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाला गौ-वंश वन्य विहार बनेगा। यहां गौवंशों का संरक्षण होगा और गाय के गोबर व मूत्र से बनने वाले उत्पाद निर्मित होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी दो माह में हिनौती गौधाम में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण एवं विस्तार के कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने गौधाम में 77 लाख रुपए की लागत से प्रथम चरण में बनाए जाने वाले प्रशासनिक भवन/गेस्ट हाउस का भूमि-पूजन किया। उप मुख्यमंत्री ने गौधाम में प्रशासनिक एवं वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर गौधाम विस्तार के लिए कराए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों की कार्य-योजना का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 3 माह में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएं। प्रथम चरण में गौधाम की 100 एकड़ भूमि में वायर-फेंसिंग का कार्य कराते हुए शेड निर्माण के कार्य प्रारंभ कराए जाएं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में भी 100 एकड़ भूमि गौशाला के लिए उपलब्ध होगी। गौ-वंश के लिए चरनोई भूमि तथा पानी की आवश्यकता भी सुनिश्चित करायी जा रही है। उन्होंने गौधाम का मुख्य गेट बनाने तथा गौधाम तक पहुंच मार्ग दुरुस्त करने के साथ ही आंतरिक रास्ते का निर्माण कराने के निर्देश को दिए। उन्होंने कहा कि गौधाम में हाई-मास्क लाइट लगाई जाए।

**पानी की उपलब्धता के लिए टंकी का निर्माण भी कराया जाएगा**

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि गौधाम में जल निगम द्वारा पानी की उपलब्धता के लिए टंकी का निर्माण भी कराया जाएगा। उन्होंने गौधाम में प्रथम चरण में 25 शेड बनाए जाने की बात कही जिनमें लगभग 15 हजार गौवंश को संरक्षण मिलेगा। इस अवसर पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने गौधाम में प्रस्तावित निर्माण कार्यों तथा विस्तार कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र प्रजापति, जनपद अध्यक्ष गंगेव विकास तिवारी, मुख्य वन संरक्षक राजेश राय, वन मंडलाधिकारी, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी, त्रियुगीनारायण शुक्ल, राजेश पांडेय, कौशलेश द्विवेदी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

### भोपाल के गांवों में बिजली कटौती और कम वोल्टेज से किसान परेशान

# सिंचाई के लिए करना पड़ रहा रतजगा बिजली कंपनी का दावा- 12 घंटे आपूर्ति

## किसान बोले, बमुश्किल मिल रही छह घंटे।

## रबी सीजन में सिंचाई के लिए किसान परेशान।

**भोपाल। जागत गांव हमार**

जिले मे रबी सीजन की फसल बोवनी की तैयारी किसान ने शुरू कर दी है। इसके लिए किसान खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन समय पर बिजली नहीं मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां बिजली मिल भी रही है तो वोल्टेज कम होने के कारण समस्या बनी हुई है। ऐसे में किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए रात्रि जागरण करना पड़ रहा है। जबकि बिजली कंपनी द्वारा खेतों के लिए 12 घंटे बिजली देने का दावा किया जाता है, लेकिन इसमें से छह घंटे तक भी मुश्किल से बिजली मिल रही है। बता दें कि पिछले दिनों जिला पंचायत में हुई साधारण सभा की बैठक के दौरान भी जिला पंचायत सदस्यों ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए अधिकारियों को घेरा था। तब अधिकारियों ने व्यवस्था में सुधार की बात भी कही थी। इसके बावजूद हालात जस के तस हैं। जनपद पंचायत फंदा की ग्राम पंचायत ईंटखेड़ी, अरवलिया, परवलिया, अचारपुरा, भैंरोपुरा, मस्तीपुरा, परेवाखेड़ा, मुबारकपुर, जगदीशपुर, मुगालिया कोट, सेमरा, परवलिया सड़क सहित आसपास की ग्राम पंचायतों में बिजली कभी भी गुल हो जाती है। यहां बिजली आती भी है तो वोल्टेज काफी कम रहता है। ऐसे में किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

### नहीं करते है समय पर सुधार कार्य

किसानों ने बताया कि पंचायतों में बिजली आपूर्ति लाइन काफी पुरानी हो गई हैं। इनको समय पर सुधारा नहीं जाता है। यही हाल ट्रांसफार्मर का भी बना हुआ है। जब सीजन में भार अधिक होता है तो फाल्ट आदि के कारण बिजली गुल हो जाती है। जिसकी शिकायत करने के बाद भी समय पर कर्मचारियों द्वारा सुधार कार्य नहीं किया जाता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या बरकरार है। खासतौर पर खेतों पर दी जाने वाली बिजली समय पर नहीं आती है। मुश्किल से पांच से छह घंटे ही मिलती है। ऐसे में किसानों को रबी सीजन की तैयारियों के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है।

**- मोहन सिंह जाट, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत**

- ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा रबी सीजन की फसल बोवनी की तैयारी की जा रही है। ऐसे में बिजली आपूर्ति तय समय सीमा में करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि पंचायतों में व्यवस्था गड़बड़ा रही है तो पता कर इसमें सुधार कराया जाएगा।

**- मनोज द्विवेदी, प्रकाशन एवं नोडल अधिकारी, ऊर्जा विभाग**

### मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द ही करेंगे भूमिपूजन

# बरखेड़ी अब्दुल्ला में बनेगी पांच हजार गौवंश क्षमता वाली गौशाला

## -भोपाल की सड़कों पर करीब 6000 गौवंश विचरण करते हैं।

## -फिलहाल यहां गोशालाओं में 1000 गाय रखने की क्षमता।

## -गोशाला में गायों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा।

**भोपाल।** जिले के सूखी सेवनिया क्षेत्र की बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत में पांच हजार गोवंश क्षमता वाली गोशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन का आवंटन तक हो चुका है और नगर निगम द्वारा इस गोशाला का संचालन कराया जाएगा। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मंगलवार को भूमिपूजन किया जाना था, लेकिन अभी यह किसी कारण से टल गया है। संभवतः कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री द्वारा भूमिपूजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को अधिकारियों से चर्चा कर तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला पंचायत फंदा की ग्राम पंचायत बरखेड़ी अब्दुल्ला में बनाई जाने वाली यह गोशाला विस्तृत पैमाने पर बनाई जाएगी। इसके निर्माण में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे छह महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह गोशाला पूरी तरह अत्याधुनिक होगी और इसका संचालन नगर निगम भोपाल के हाथों में रहेगा। इसके शुरू होने से शहर की सड़कों पर स्वतंत्र विचरण करने वाले गौवंशों को एक निश्चित आश्रय मिल सकेगा।

### होंगी ये सुविधाएं

अत्याधुनिक गौशाला में गौवंश के प्रवेश से लेकर उनकी देखभाल, स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। गौवंश को कौन, कहां से और कब लाया है, यह सभी रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा। इनके लिए आहार भी मशीनों से तैयार किया जाएगा। देखभाल के लिए पशु चिकित्सक व स्टाफ मौजूद रहेगा।

### फिलहाल इतनी क्षमता

जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में कराए गए सर्वे के दौरान पता चला कि सड़कों पर 200 स्थानों पर करीब छह हजार गौवंश स्वतंत्र विचरण करते हैं। इनमें मुख्य रूप से अयोध्या बाइपास, कोलार रोड, रायसेन रोड, अशोका गार्डन, रातीबड़, नेहरू नगर, कोटरा, बैरागढ़ और हमीदिया रोड शामिल हैं। निगम के पास अभी एक हजार गौवंश रखने की क्षमता है।

- ग्राम पंचायत बरखेड़ी अब्दुल्ला में पांच हजार गोवंश क्षमता वाली गौशाला बनाई जानी है। जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो कि मंगलवार को होना था लेकिन अब कुछ दिन बाद होगा। गोशाला का संचालन नगर निगम द्वारा किया जाएगा।

**-ऋतुराज सिंह, सीईओ, जिला पंचायत, भोपाल**

केवीके का कृमिनाशी अभियान, पशुपालकों की सजगता से रोकी जा सकती है करोड़ों की क्षति

# असमय ही काल के गाल में समा रहे हैं भैंस के बच्चेः डॉ. एसपी सिंह

लहार (भिंड)। जागत गांव हमार

जिले में बड़ी संख्या में किसानों द्वारा भैंस पालन का कार्य किया जा रहा है। जिले के किसानों की आजीविका में भैंस पालन महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। जिले की कुल पशुओं की आबादी में लगभग 34 प्रतिशत संख्या भैंस वंशीय पशुओं की है।

लेकिन देखने में आ रहा है कि भैंस के पैदा होने वाले बच्चे बड़ी संख्या में एक साल के भीतर ही मर जाते हैं। इसके पीछे की प्रमुख वजह में से एक उनके पेट में पाए जाने वाले पेट के कीड़े (अंत: परजीवी) हैं।

समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रथम पंक्ति प्रदर्शन (पशुपालन) के तहत हर साल कुछ गांवों में जागरूकता लाने के लिए कृमिनाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष लहार क्षेत्र के गांव मिहोनी, रमपुरा, धमोकर, टोला एवं चिरावली मैं 66 किसानों के 140 भैंस के लवारों (बच्चों) को पेट के कीड़ों की दवा पिलाई एवं वितरित की गई है। कृमिनाशी अभियान के दौरान बोलते हुए केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने कहा कि भैंस के पैदा होने वाले बच्चों के पेट में कीड़े मां के गर्भ से ही आते हैं। इसलिए भैंस के बच्चे पैदा होने के बाद उसे निर्धारित शेड्यूल 10, 30 एवं 90 दिन पर उसके शरीर भार के अनुसार पेट के कीड़ों की दवा अवश्य देनी चाहिए।

## भिंड में हर साल मरते हैं लगभग 75 प्रतिशत तक भैंस के बच्चे

उन्होंने कहा कि पेट के कीड़े आंतों, फेंफड़े, किडनी आदि में चुपके रहते हैं और पशु का खून चूसते हैं। इससे नवजात बच्चे धीरे-धीरे कमजोर हो जाते हैं और सर्दियां आते-आते निमोनिया, दस्त आदि से ग्रसित होकर वह मौत के मुंह में चले जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 75 प्रतिशत तक भैंस के बच्चे हर साल इसकी वजह से मर जाते हैं। जिला स्तर पर यह आर्थिक रूप से बहुत बड़ी क्षति है। भिंड जिले में ही लगभग 50 करोड़ से अधिक के भैंस के बच्चे असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं।

डॉ. सिंह ने बताया कि पशुपालकों की थोड़ी सी सजगता से इस आर्थिक क्षति को रोका जा सकता है। ऐसा करके पशुपालक घर पर ही अच्छी भैंस भी तैयार कर सकेंगे और उन्हें बाहर से खरीदने की निर्भरता खत्म होगी।

# किसान दुग्ध उत्पादन से अपनी आय बढ़ा सकते हैंः मंत्री उइके

मंडला। जागत गांव हमार

मप्र की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि पशुपालन करना किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का साधन है। पशुपालन से पशुपालक दुग्ध उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। प्रदेश सरकार पशुपालकों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुपालन के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर पशुपालक अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है। मंत्री उइके उइके कार्यालय उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना अंतर्गत पशुपालकों को पशु वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। पशुपालन करना हमारी प्राचीन परंपरा रही है।

## पशुपालन करना हमारे लिए अति आवश्यक

पशुओं के द्वारा हम खेती का कार्य, दुग्ध उत्पादन और खाद संग्रहण का कार्य करते थे। इसलिए पशुपालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को पशुपालन के लिए निःशुल्क दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे पशुपालन को बढ़ावा मिल सके। पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को पशु के लिए आहार एवं उपचार हेतु दवाईयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना अंतर्गत विकासखंड नारायणगंज के हितग्राहियों को 2-2 भैंस प्रदान कर लाभान्वित किया। उइके ने हितग्राहियों को पशु आहार का भी वितरण किया।

# सोयाबीन में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए अमेरिका जापान और भारत के वैज्ञानिकों ने किया मंथन, आपसी सहयोग पर भी हुई चर्चा

इंदौर। जागत गांव हमार

आईसीएआर-भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर ने रोगों से सोयाबीन की उपज में कमी की समस्याओं का प्रबंधन करने के लिए सोसाइटी फॉर सोयाबीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ संयुक्त रूप से 'सोयाबीन में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की रणनीतियां' पर अंतर्राष्ट्रीय विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि शिक्षा एवं फसल विभाग के भूतपूर्व उपमहानिदेशक डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकृअप के उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. तिलक राज शर्मा ने की। इस आयोजन में सहायक महानिदेशक (तिलहन एवं दलहन) एवं मंथन सत्र के सह अध्यक्ष डॉ. संजीव गुप्ता, संस्थान के निदेशक एवं विकास सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. कुंवर हरेन्द्र सिंह ,सचिव डॉ.महावीर प्रसाद शर्मा एवं डॉ. मिलिंद रत्नापरखे आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भाग लेकर जानकारी साझा की। डॉ. केएच सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से सत्र में भाग लेने वालों का स्वागत करते हुए विभिन्न रोगों के संक्रमण द्वारा सोयाबीन की उपज में ठहराव और उससे (25-30प्रतिशत) तक हानि होने पर अपनी चिंता व्यक्त की। डॉ.सिंह ने अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत आयोजित बहु-स्थानीय परीक्षणों में प्राप्त 2.5 टन/हेक्टेयर तक की उपज के स्तर के बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, एन्थ्रेक्नोज, चारकोल रॉट जैसे फंगल रोगों के संक्रमण के अलावा पीला मोजेक रोग सोयाबीन की परिपक्वता अवधि के दौरान बढ़ जाता है। जिससे वास्तविक उपज में कमी आती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह विचार-मंथन सत्र प्रबंधन विकल्पों के लिए अंतदृज़्ष्टि विकसित करने और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए किए जा रहे




अनुसंधान कार्यक्रम को गति देने में सहायता करेगा। अमेरिका की इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, के जीव विज्ञान विभाग के प्रतिष्ठित प्रोफेसर रोजर इन्स ने डिकॉय इंजीनियरिंग नामक तंत्र का उपयोग करके भारतीय सोयाबीन की प्रमुख बीमारियों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने के बारे में बात की। उनके अनुसार, इस तरह की नई ट्रांसजेनिक तकनीक सोयाबीन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकती है।

डॉ. ऐनी ई. डोरेंस, प्रोफेसर एमेरिटस, प्लांट पैथोलॉजी विभाग, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए ने बेहतर सोयाबीन के निर्माण पर व्याख्यान दिया. उनके अनुसार सोयाबीन की बीमारियों जैसे फाइटोफ्थोरा सोजे, सोयाबीन रस्ट, स्क्लेरोटिनिया स्टेम रॉट, डायपोर्थ स्टेम कैंकर और सोयाबीन सीडिंग डैम्पिंग ऑफपर चर्चा की एवं फाइटोफ्थोरा रोग के लिए पैथोटाइप लक्षण वर्णन और प्रतिरोधी प्रजनन कार्यक्रम पर चल रहे शोध कार्यक्रमों पर अधिक जोर देना चाहिए। प्रोफेसर के. मरेडिया, निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम-कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन), मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए ने भारत के साथ कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में भारतीय सोयाबीन वैज्ञानिकों के भविष्य में अनुसंधान सहयोग और क्षमता विकास निमाज़्ण के लिए इच्छा दिखाई। डॉ. सारा थॉमस-शर्मा, सहायक प्रोफेसर, प्लांट पैथोलॉजी एवं क्रॉप द्विक्तजियोलॉजी विभाग, लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए ने सोयाबीन रोगों के एकीकृत प्रबंधन में सुधार के लिए महामारी विज्ञान संबंधी ज्ञान अंतराल को संबोधित किया। जापान की जिरकास संस्था के विशेषज्ञ और जैविक संसाधन और कटाई उपरांत प्रभाग के डॉ. नाओकी यामानाका के अनुसार, एशियाई सोयाबीन रस्ट की समस्या को हल करने के लिए रस्ट प्रतिरोध के लिए प्रजाति-विशिष्ट प्रजनन प्रभावी और किफायती हो सकता है। डॉ. वीके बरनवाल, राष्ट्रीय प्रोफेसर, प्लांट पैथोलॉजी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली ने भारत के विभिन्न सोयाबीन वायरल रोगों का पता लगाने और उनके निदान तथा उनके रोग प्रबंधन रणनीतियों के बारे में बात की। डॉ. गुप्ता ने कहा कि देश को प्रोटीन निर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में प्रगति होगी, जिसके लिए सोयाबीन सबसे अच्छा विकल्प है। इसकी उत्पादकता में वृद्धि नीति निर्माताओं के सपनों को साकार करेगी।

# ऑन डिमांड श्रेणी अंतर्गत किसान ड्रोन के आवेदन जल्द ही पोर्टल पर लिए जाएंगे

**इंदौर।** संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मप्र शासन, भोपाल द्वारा किसान ड्रोन के आवेदन ऑन डिमांड श्रेणी अन्तर्गत जल्द ही पोर्टल पर लिए जाएंगे। अत: इच्छुक आवेदक ड्रोन संचालित करने के लिए अनिवार्य ड्रोन पायलट लाइसेंस के प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास इंदौर में तत्काल ही आवेदन करें। प्रशिक्षण का प्रथम बैच 25/11/2024 से प्रारम्भ हो रहा है एवं प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा।

# किसानों को अब ऑनलाइन मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन

**भोपाल** देश में किसानों को खेती-किसानी के कायोज़् के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को योजना के तहत बैंक लोन मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कई राज्य सरकारों द्वारा किसानों को केसीसी पर ऑनलाइन ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसमें अब मध्यप्रदेश राज्य भी शामिल हो गया है। सरकार की इस योजना से अब जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन से संबद्ध सहकारी संस्थाओं के खरगोन एवं बड़वानी जिले के 02 लाख 70 हजार किसानों को अब ई-केसीसी पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्राप्त हो सकेगा।

**6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पायलट प्रोजेक्ट:** ऑनलाइन ऋण से संबंधित जानकारी देते हुए खरगोन जिले के बैंक प्रबंध संचालक पीएस धनवाल ने बताया कि खरगोन सहकारी बैंक प्रदेश की एक मात्र सहकारी बैंक है। जिसका किसानों को ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड के द्वारा देश की 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के साथ पायलेट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है।

## फूंके करोड़ों रुपए पर एक बूंद भी नहीं बना डीजल और सरकारी जमीन बन गई निजी

# श्योपुर को तो नहीं बना सका सउदी पर इसे लाने वाले बन गए शेख

**श्योपुर। जागत गांव हमार**

डेढ़ दशक पहले बायो डीजल उत्पादन के माध्यम से श्योपुर को सउदी बनाने का जो सपना नेताओं ने दिखाया था (देश को तेल उत्पादन में सउदी के बराबर लाकर खड़ा करने का) वह सपना तो पूरा नहीं हो सका, अलबत्ता इसे लाने वाले जरूर शेख (सेठिया) बन गए। जगह-जगह युद्ध स्तर पर रोपी गई इस वनस्पति से एक बूंद भी डीजल नहीं बनाया जा सका,लेकिन इसके नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर कइयों ने अपनी चांदी खूब काटी है। जिस तेजी के साथ मिशन जेट्रोफा शुरू किया गया था उसी तेजी से यह जेट्रोफा सरकारी फाइलों से गुम भी हो चुका है और जिस जोर-जोर से इस योजना का शुरू किया था उतने ही जोर-जोर से भुला भी दी गई, लेकिन जगह-जगह रोपी गई जेट्रोफा की फसल के अवशेष आज भी स्मृति के रूप में जहां यहां खड़े मिल जाएंगे।

जेट्रोफा (रतनजोत) के बीजों से बायो डीजल बनाने के नाम पर 15 साल पहले श्योपुर में करोड़ों रुपए खर्च कर जेट्रोफा के पौधे लगाए गए। अच्छे मुनाफे का लालच देकर किसानों के खेतों की मेढ़ से लेकर, सिंचाई विभाग ने चंबल नहर किनारे और जिला पंचायत ने मनरेगा के तहत सरकारी जमीन पर यह पौधे लगाए। दावा तो यह है कि एक साल में ही इसके बीजों से वाहनों का ईधन बनेगा, लेकिन हुआ यह कि, इन पौधों के नाम पर करोड़ों रुपए ही नहीं, सरकारी की हजारों बीघा जमीन का भी घोटाला हो गया। दरअसल, 2007-08 में मध्यप्रदेश सरकार ने डीजल-पेट्रोल के विकल्प के रुप में जेट्रोफा के बीजों से बायो डीजल बनाने की योजना तैयार की थी। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में जेट्रोफा रोपने के लिए नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराए गए थे। किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि, एक साल के भीतर जेट्रोफा फल देना शुरू कर देगा। इस फल को सरकार किसान के खेत से खरीदकर ले जाएगी। भारी मुनाफे के लालच में किसान ने सरकार से नि:शुल्क बीज लेकर खेत की मेडों पर उगा दिए। उधर, प्रशासन ने सभी सरकारी कार्यालयों में जेट्रोफा के पौधे रोप दिए। सबसे बड़ा अभियान तो जल संसाधन विभाग ने चलाया। जल संसाधन विभाग ने चंबल नहर किनारे अपनी जमीन पर पूरे जेट्रोफा पौधे रौपे थे। इन पौधों को रोपने के लिए सिंचाई विभाग ने दो करोड़ रुपए से कस खर्च किया गया था। चंबल नहर किनारे कई स्थानों पर आज भी जेट्रोफा के पौधे खड़े हैं, लेकिन, इन पौधों से निकालने वाले फल को खरीदने वाली कोई कंपनी कभी श्योपुर नहीं पहुंची।

### और यहां निजी हो गई 120 बीघा सरकारी जमीन

मनरेगा की हरियाली महोत्सव योजना के तहत साल 2007-08 में सौंठवा ग्राम पंचायत ने जेट्रोफा पौधरोपण किया। करीब 120 बीघा जमीन में मनरेगा मद से 49 लाख रुपए खर्च कर जेट्रोफा के हजारों पौधे सौंठवा, खेड़ली, पाड़ल्या व फतेहपुर गांव में लगाए गए। नियमानुसार पौधों में से 80 फीसदी पौधे जीवित होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई थी, लेकिन 05 फीसदी पौधे भी नहीं बचे। जिस 120 बीघा जमीन में जटरोपा लगाए गए, वहां कहीं-कहीं जेट्रोफा के पौधे नजर आते हैं। अधिकांश जमीन पर दबंगों द्वारा खेती करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जेट्रोफा के नाम पर 49 लाख व 120 सरकारी जमीन चली गई।

### घोटालों को छिपाने रिकॉर्ड तक गायब कर दिए

उक्त मामले की शिकायत 2013 में सौंठवा ग्राम पंचायत की तात्कालीन सरपंच गीताबाई ने की तब प्रशासन हरकत में आया। शिकायत के बाद तात्कालीन जिपं सीईओ एचपी वर्मा ने आरईएस के तब के ईई सीएन मिश्रा व जिला पंचायत में तात्कालीन मनरेगा पीओ प्रकाश शर्मा को सौंठवा भेजकर मामले की जांच करवाई गई। 21 अगस्त 2013 को दोनों अफसरों ने तात्कालीन जिला पंचायत सीईओ एचपी वर्मा को जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी कहा गया कि सौंठवा खेड़ली, पाड़लया व फतेहपुर में एक भी जेट्रोफा का पौधा नहीं मिला है। ताज्जुब की बात यह है कि जिला पंचायत और सिंचाई विभाग के कार्यालयों से जेट्रोफा से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड ही गायब हो गया, जिसे ढूंढने की सुध कभी किसी अफसर ने नहीं ली।

## सरकारी स्कूलों में लगा जेट्रोफा खाकर अस्पताल पहुंचे बच्चे

जेट्रोफा के दुष्परिणाम सबसे अधिक विद्यार्थियों को भुगतने पड़े। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों द्वारा जेट्रोफा का सेवन करने से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। तब आए दिन जेट्रोफा खाकर बच्चों के बीमार होने की खबर अखबारों की सुर्खियां बनती रहती थी। दरअसल, सरकार ने जेट्रोफा का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया था जिसके तहत सभी सरकारी दफ्तरों में भी बाउंड्री वॉल के रूप में जेट्रोफा इसे लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में सरकारी स्कूलों की बाउंड्री बाल भी शिक्षकों ने जेट्रोफा लगाकर कर दी इसके बुरे परिणाम यह निकलकर सामने आए कि बच्चे जेट्रोफा के बीज के भीतर से निकली गिरी को फोड़कर खाने लगे यह गिरी देखने में बादाम जैसी प्रतीत होती है और स्वाद में भी ठीक-ठाक लगती है लेकिन इसे खाने से चक्कर आने बेहोशी छाने की शिकायत होने लगी। कई बच्चे स्वाद लेकर इसे खाने के बाद बेहोश हो गए और कुछ चक्कर खाने लगे तो बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को अस्पताल लाकर भर्ती कराना पड़ा। तब बाद में इस योजना के बंद होने के बाद स्कूलों से जेट्रोफा के पौधों को जलाने नष्ट करने का अभियान भी शिक्षकों ने छात्रों के जीवन को सुरक्षित रखने की गलत से किया।

## दो हजार रुपए किलो बिकता है इस पेड़ से निकला गोंद

# जड़ी बूटी तस्करों ने उजाड़ दिया मप्र में इकलौता गुग्गल का जंगल

श्योपुर। जागत गांव हमार

करीब ढाई दशक पहले तक वीरपुर के आसपास के जंगलों में गुग्गल के पेड़ बहुतायात में थे वनवासियों को मालामाल कर देने वाले इन पौधों के जंगल को नष्ट करने का काम खुद इस पौधे से आजीविका चलाने वालों ने किया। पेड़ से गोंद लेकर अपने आजीविका चलाने वालों ने उसका खत्मा पुरानी कहावत (एक लोभी मूर्ख सोने देने वाली मुर्गी को हलाल कर एक साथ उसके सारे एंड निकाल लेने की गलती करता है) चरितार्थ करते हुए किया। दुखद पहलू यह है कि इस गलती में वो लोग भी शामिल रहे जो या तो इस पौधे के गोंद के उत्पादन से अपनी रोजी-रोटी चलाते थे अथवा बिचौलिया का काम करते थे। बीते दो दशक से यह पौधे अब क्षेत्र के जंगल से गायब ही हो गए हैं।

श्योपुर जिले के 62 फीसद भू-भाग पर जंगल है। यहां के जंगल में हजारों प्रकार की जड़ीबूटी व लाखों प्रजाति के पेड़-पौधे हैं। जिले की वीरपुर क्षेत्र में ऐसा ही एक अनोखा जंगल गुग्गल के पौधों का हुआ करता था जो, अब विलुप्त हो चुका है। वन विभाग घड़ियाल सेंक्चुरी या जिला प्रशासन ने इस बेशकीमती जंगल के संरक्षण का रत्तीमात्र भी प्रयास नहीं किया। इसी का फायदा गोंद, जड़ीबूटी तस्कर उठाते रहे है। इन्होंने, बीहड़ों को हरा-भरा रखने वाले गुग्गल के पेड़ों को लगभग गायब कर दिया है। देश में गुग्गल के पेड़ बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इनकी संख्या मप्र, राजस्थान, गुजरात, आसाम, बंगाल व मैसूर राज्यों में पाई जाती है। राजस्थान में मारवाड़ व मेवाड़ में यह मिलते हैं तो मप्र में वीरपुर तहसील के कूनो साइफन के बीहड़ के अलावा, दिमरछा, सांथेर, बढ़ेरे, नदीगांव के बीहड़ों में गुग्गल के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। करीब 15 साल पहले तक इन बीहड़ों में सिर्फ गुग्गल के पेड़ इतनी संख्या में थे, कि पूरे बीहड़ हरेभरे दिखते थे। पिछले एक दशक से इन बीहड़ों में खेत बनाने के लिए जमीनों को समतल किया जा रहा है। इसके अलावा, करीब डेढ़ दशक से इन जंगलों पर जड़ीबूटी व गोंद का व्यवसाय करने वालें व्यापारियों की नजर पड़ गई है। जड़ीबूटी और गोंद के तस्करों ने गुग्गल के पेड़ों का जितना नाश किया है। उतना भूमाफिया ने नहीं किया। गुग्गल का एक पेड़ ज्यादा से ज्यादा तीन बार गोंद दे सकता है और तस्करों के ज्यादा गोंद निकालने के लालच ने गुग्गल के जंगल का सफाया कर दिया है।

### 2000 रुपए किलो में बिकता है गुग्गल का गोंद

गुग्गल के पौधों में कट के निशान लगाकर जो गोंद निकलता है। वह 1500 से 2000 रुपए किलो में बिकता है। यह गोंद चोरी छिपे राजस्थान के जयपुर से लेकर दिल्ली तक भेजा जाता है। ज्यादा से ज्यादा गुग्गल गोंद निकालने के लिए पेड़ों पर इतने अधिक व गहरे निशान लगाए जाते हैं, कि पौधा कुछ ही दिन में सूख जाता है। चंबल के बीहड़ों में अब भी गुग्गल के कटे हुए पेड़ जगह-जगह मिल जाएंगे लेकिन, हरा-भरा पेड़ बड़ी मुश्किल से मिल पाता है।

#### हवन-पूजा और दवाओं में काम आता है गुग्गल

गुग्गल का उपयोग हवन सामग्री, बहुत महंगी धूपबत्ती व अगरबत्ती बनाने में है। पूजा के दौरान होने वाले यज्ञ व हवन में गुग्गल डालने पर पूरे वातावरण में खुशबू हो जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग आयुर्वेद की दवाओं में होता है। गुग्गल के गोंद से नेत्र रोग, शिरा, हृदय रोग, पेटरोग, महिलाओं के रोग और कफ की बीमारी के लिए बनने वाली आयुर्वेद दवाओं में गुग्गल का उपयोग होता है। इसलिए इसकी मांग और भाव लगातार बढ़ते ही जाते हैं।

#### संरक्षण हो तो व्यापार और हरियाली दोनों बढ़े

उजड़ चुके गुग्गल के जंगल की प्रशासन और वन विभाग यदि अब भी सुध लेता है तो बीहड़ों में फिर से यह अनोखे जंगल लहलहा सकते हैं। सबसे पहले इनकी कटाई पर रोक लगाई जाए। बीहड़ों में खेतों की जमीन बनाने वालों पर अंकुश लगे और गोंद के लिए बेतरतीब गुग्गल पेड़ों को काटने वाले तस्करों पर कार्रवाई हो। इन जंगलों में फिर से हरियाली बड़ी ही आसानी से आ सकती है। क्योंकि, गुग्गल के बीज के अलावा उसकी डालियों को अगर जमीन में रोपा जाए तो वह बहुत जल्दी पौधा बन जाता है।

#### एक पेड़ मिलना भी मुश्किल

यह पौधे पहले बीहड़ों में बहुत घने थे। इन्हें मवेशी नहीं खाती थी और इसके फल भी किसी काम के नहीं होते थे। इनकी लकड़ी भी बहुत कच्ची व कमजोर होती है। इसलिए यह ग्रामीणों के किसी काम की नहीं थी लेकिन, गोंद निकालने वाले और बीहड़ में खेत बनाने वालों ने यह पेड़ काट दिए हैं। जहां पूरा का पूरा जंगल दिखता था वहां अब एक-आध पौधा मिल जाए तो गनीमत है


## जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

**1. प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)
ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406

**2. प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,**
आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- gaibriyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380

**3. डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड,
पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com
मोबा- 8210231304

**4. डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची झारखण्ड। ईमेल- ncgupt-abau@gmail.com, मोबा- 8789708210

**5. डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान)
कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश)
सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र)
ईमेल- dpatil889@gmail.com,मोबा- 8827176184

**6. डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री बिजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र
ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901

**7. डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र
ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144

**8. डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार।
ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793

**9. डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड।
ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836

**10. डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार।
ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670

**11. रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।
ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371


# भारतीय किसान संघ भोपाल ने सांसद से जीएम बीजों पर प्रतिबंध की मांग की

**भोपाल।** भारतीय किसान संघ, भोपाल के प्रतिनिधिमंडल ने संभाग मंत्री वेद प्रकाश दांगी एवं जिला अध्यक्ष गिरवर सिंह राजपूत के नेतृत्व में सांसद आलोक शर्मा से मुलाकात कर कपास और सरसों के बीटी बीजों से होने वाले नुकसान को देखते हुए जीएम बीजों पर प्रतिबंध की मांग की प्रतिनिधिमंडल में जिला सह मंत्री राजेंद्र सिंह ठाकुर भोपाल नगर अध्यक्ष अश्वनी मेहर, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख विनय सिंह पटेल, लोकेश मीणा, तहसील अध्यक्ष अखिलेश मीणा, गजेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र, आकाश राजपूत कार्यकारिणी के सदस्य शामिल थे।

किसान संघ के सदस्यों ने बताया कि 2002 से विदेशी कंपनियों ने बीटी बीजों को बैक डोर से भारत में प्रवेश दिलाया है। इन बीजों में जीवों के जीन डाले गए हैं, जिससे देश में मांसाहारी तेल का सेवन बढ़ा है, जबकि मांसाहारी तेल पर प्रतिबंध है। उन्होंने यह भी कहा कि जीएम बीजों का भारत में पर्यावरण पर प्रभाव का कोई परीक्षण नहीं किया गया है, जिससे देशी बीज विलुप्त हो रहे हैं और किसान विदेशी कंपनियों पर निर्भर होते जा रहे हैं।

किसान संघ ने बताया कि बीटी बीजों का परीक्षण असफल रहा है, फिर भी विदेशी कंपनियां नए प्रयोग कर रही हैं। इस मुद्दे पर किसान संगठनों ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार को चार महीने में नीति बनाने का निर्देश दिया था। तीन महीने बीतने के बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है।

प्रतिनिधिमंडल ने सांसद शर्मा से आग्रह किया कि वे आगामी लोकसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएं। किसान संघ की इस चर्चा में सांसद शर्मा ने कहा कि किसान संघ ने इस मुद्दे को ठीक उठाया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि 25 नवंबर से सत्र शुरू होगा मैं इस मुद्दे को विशेष रूप से संसद में उठाऊंगा।


जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"


स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः** अरविंद मिश्रा, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)।